निगरानी डीपी सं0 .01/2015 शंकर उर्फ गुलाबिया पुत्र बग्गूराम जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला, उदाराम चौक के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम 1–जलालिया पुत्र रिखिया जाति सांसी नि0 जण्डावाली तह0 व जिला हनुमानगढ (मृत्तक) 1/1–गंगूराम 1/2–लालाराम वगैरा 2–कालुराम (मृत्तक) 2/1–चूनकीदेवी 2/2–सुनील वगैरा 3–गंगादेवी (मृत्तक) 3/1–शेरूराम 3/2–सोमू वगैरा 4–शांतिदेवी (मृत्तक) 4/1–गंगाराम 4/2 रोशनलाल वगैरा 5–लाली पत्नि बग्गूराम (मृत्तक) 5/1–मखनराम वगैरा 6–ममदूराम (मृत्तक) 6/1–भागोदवी वगैरा–आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.03.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री काशीराम रणवा उपस्थित है। उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय सेटलमेंट कमिशनर एवं अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित अपील सं0 19/2013 जलालीया वगैरा बनाम लाली वगैरा में **लछमन** की ओर से दिनांक 27.03.15 को प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षो की सुनवाई कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 10.06.2015 को स्वीकार करके चक 6 पीएसडी के प0न0 153/46 के कि0न0 1ता25 की 25 बीघा भूमि सोनकी उर्फ सोनादेवी व बगू को चक 6 पीएसडी के प0न0 153/29 के कि0न0 1ता25 की 24.15 बीघा अलाट हुई थी इन दोनो के नाम के जमाबन्दियों को रिकार्ड पर इस आधार पर लिये जाने का आदेश दिया गया कि ये प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण व संगत प्रलेख है, की अप्रसन्नता से यह निगरानी इस न्यायालय में शंकर उर्फ गुलाबिया पुत्र बग्गूराम की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री तेजा सिंह कथन था कि अधिनस्थ न्यायालय में लछुराम वगैरा ने उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जिसमें लच्छुराम वगैरा द्वारा आदेश 41 नियम 27 व 151 सीपीसी के अन्तर्गत डाक्यूमेंट को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। जिसमें उनके द्वारा ऐतराज पेश किया कि मुकदमा 1985 में जिला पुनर्वास अधिकारी के चला था और जिसकी अपील सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के हुई, जो भी 1986 में खारिज हो गई और उसके पश्चात सेटलमेंट कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर के यहां निगरानी पेश हुई, जो भी दिनांक 10.03.1987 को खारिज हो गई और उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 33 डीपीसी एण्ड आर एक्ट के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के समक्ष याचिका पेश हुई जो भी उनके द्वारा 1992 में अदम पैरवी में खारिज हो गई और बाद में 23.05.1997 को मैरिट पर खारिज हो गई। इस प्रकार उक्त कार्यवाहियों के दौरान न्यायालयों में

संबंधित दस्तावेज पेश नही किये गये थे। इसलिए संबंधित दस्तावेजात पेश नही कर सकते थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये है जो सही नही है। इसलिए पेटीशन स्वीकार की जावे।

उनका आगे कथन था कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अन्तर्गत यह बताना आवश्यक है कि उक्त दस्तावेज पहले उनके कब्जे में नही थे या उन्हे प्राप्त नही हुए थे। अप्रार्थी द्वारा ये नही बताया गया है। जबकि अपीलांट के पूर्वजो को 1976 में अलाटमेंट है और यह अलाटमेंट भी राज0 सरकार द्वारा किया गया है। जबकि विवादग्रस्त भूमि भारत सरकार कस्टोडियन विभाग की है जिसका इस दस्तावेज से कोई संबंध नही है। इसलिए अधिनस्थ द्वारा दस्तावेजो को रिकार्ड पर लेने की भारी भूल की है। इसलिए पेटीशन स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.2015 निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण व संगत प्रलेख होने के कारण आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पत्रावली पर लिये जाने का जो आदेश दिया गया है वह विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए निगरानी खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने लछमन के प्रा0 पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 27.03.2015 में अंकित दस्तावेज चक 6 पीएसडी 153/46 कि0न0 1ता25 की 25 बीघा भूमि सोनकी उर्फ सोना देवी व प0न0 153/29 कि0न0 1 ता 25 की 24.15 बीघा बग्गू के नाम की जमाबंदिया को दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरांत रिकार्ड पर लेने के आदेश दिनांक 10.06.2015 को दिये गये है जो निम्न प्रकार से है:–

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि (E) Civil procedure Code, 1908- O, 41, R, 27-Additional evidence-Application has to be considered at the time of hearing of the appeal on merits so as to find whether the documents and/or the evidence sought to be adduced have any relavance on the issues involved-Order passed earlier on the application is just to be ignored.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण के निस्तारण करने में महत्वपूर्ण व संगत प्रलेख है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अभिलेख अपील पत्रावली में शामिल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत लछमन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण व संगत प्रलेख होने के आधार पर रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये है जो **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2012 डीएनजे (एसी) पेज 742** के परिप्रेक्ष्य में दिये है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.2015 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालनार्थ वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
प्राधिकृत चीफ सेटलमेंट
कमिश्नर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर